रिक्त पदों का भरा जाना

4682. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में ग्रुप 'ए०', 'बी०', 'सी०', और' डी० , के रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है और उनको न भरने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उनमें से अनेक पद 1 जनवरी, 1977 और 1 जनवरी, 1978 को व्यपगत हो गये थे क्योंकि वे 6 महीनों से अधिक अवधि तक रिक्त पड़े रहे थे;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं;

(घ) उनमें से ऐसे पद कितने हैं जो (एक) सीधी भर्ती करने के (दो) पदोन्नति करके, और (तीन) प्रतिनियुक्ति से भरे जाने थे; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं कि भविष्य में स्थान रिक्त होते ही भर दिये जायें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क)

समूह क	8
समूह ख	—
समूह ग	12
समूह घ	12

समूह क तथा ग में रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। समूह घ में पदों को नहीं भरा जा सका क्योंकि चपरासियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध है, किन्तु अब इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

(ख) छः महीने से अधिक अवधि तक रिक्त पड़े रहने के कारण 1-1-1977 अथवा 1-1-1978 को कोई पद व्यपगत नहीं हुए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीधी भर्ती	22
पदोन्नति	5
प्रतिनियुक्ति	5

(ङ) प्रशासन के हितों में उपयुक्त तथा आवश्यक समझी जाने वाली कार्यवाही किया जाना जारी है।

केन्द्र राज्य पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग

4683. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी अहिन्दी भाषी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों और विभागों को हिन्दी में पत्र भेजने शुरू कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो हिन्दी के विकास की गति तेज करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों और केन्द्र के बीच पत्राचार के लिए, सामान्यतया अंग्रेजी का

प्रयोग किये जाने का प्रावधान है। किन्तु, यदि ऐसे राज्य चाहें, तो आपसी सहमति से, यह पत्राचार हिन्दी में भी किया जा सकता है और गुजरात, पंजाब तथा महाराष्ट्र राज्यों ने केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्राचार करना स्वीकार भी किया है।

स्पष्ट है कि ऐसे पत्राचार म हिन्दी का प्रयोग करने के लिए यदि पहल अहिन्दी भाषी राज्यों की ओर से ही हो तो श्रेयस्कर होगा।

Assistance by Army personnel to Civil Authorities

4684. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of occasions in 1976-77 the Army personnel assisted the Civil Authorities to maintain law and order, with their detailed break-up, State-wise; and

(b) the number of occasions during 1975-76 the Army personnel were deployed to maintain essential services, with their detailed break-up, State-wise ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) and (b). While there was no occasion when Army personnel had to assist the Civil Authorities in the maintenance of law and order during 1976-77, a Statement indicating the number of occasions in 1975-76, when Army personnel were deployed to maintain essential services, with State-wise break-up is enclosed.

The reply excludes continued assistance rendered by Army personnel in Nagaland, Mizoram and Manipur to deal with unsatisfactory situations there.

Statement

Army Assistance for the Maintenance of Essential Services during the year 1975-76

Serial No.	State/Place	Period	Brief desciption of aid
1.	*MAHARASHTRA*:		
	Bombay Port and Dock . .	15 to 20 Jan 75 .	To assist port authorities to maintain essential services *i.e.* water, electricity supply and unloading of foodgrains/ oilships.
2.	*TAMILNADU*:		
	Madras Port Trust . . .	16 to 21 Jan 75 .	Do.
3.	*ANDHRA PRADESH*:		
	Visakhapatnam Port Trust . .	17 to 22 Jan 75 .	Do.
4.	*WEST BENGAL*:		
	(*a*) Calcutta Port Trust . .	16 Jan to 21 Jan 75.	Do.
	(*b*) Assansol, Midnapore, Chinsurah, Chandan Nagar, Uttar Para, Budge Budge, Behrampur, Bhatpara and Barrackpore.	19 Jan to 20 Jan 75.	Telephone exchange operators were provided to man civil exchanges during Bengal Bandh on 20 Jan 75.